अपील सूचना अधिकार संख्या 132/2020 (GCMS 2020/00227) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम प्रभारी अधिकारी, रिकॉर्ड शाखा, उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड शाखा, उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 10.08.2020 से चार बिन्दुओ की सूचना चाही थी जो लोकसूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय अवधि में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए लोक सूचना अधिकारी पर 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित कर हर्जाना उसे दिलवाये जाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.08.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रथम अपील के निर्णय दिनांक 19.06.2019 में प्रार्थी के जिस प्रार्थना पत्र धारा 6(1) आरटीआई के अन्तर्गत निर्णय दिया गया है, उस प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति व सूचना।
2. प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न आईपीओ भारतीय पोस्टल आर्डर राशि 10/–रूपये का क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. प्रत्यर्थी के द्वारा दिये गये जबाव की प्रमाणित प्रति व सूचना।
4. पत्रांक क्रमांक सं.का.अ./2018/4166 दिनांक 18.12.2018 की सूचना व पत्र की प्रमाणित प्रति।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2020/729 दिनांक 09.09.2020 से प्रार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है :

1. बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 के सम्बन्ध में आपने यह स्पष्ट रूप से अवगत नही करवाया है कि आपको निर्णय दिनांक 19.06.2019 की कौनसी अपील संख्या की प्रतिलिपि की आवश्यकता है। अपील संख्या अंकित नहीं होने के कारण सूचना देना सम्भव नही है।
2. बिन्दु संख्या 4 के सम्बन्ध में आप द्वारा चाही गयी सूचना की प्रतिलिपि संलग्न है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2020 के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 09.09.2020 को प्रार्थी द्वारा वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध जवाब दिया जा चुका है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खाारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर